निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 98 / 2022
दायरा दिनांकः–25.11.2022
निर्णय दिनांकः– 27.8.25

उनवान

1. मुस0 रीना आयु 27 वर्ष पुत्री रामभरोस जाति धोबी निवासी ग्राम मोरेली तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम छीपाबडौद जिला बारां
2. राहुल आयु 18 वर्ष आत्मज रामभरोस जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबडा हाल मुकाम गुना (म0प्र)
3. मोनू आयु 15 वर्ष नाबालिग आत्मज रामभरोस वली एवं सरपरस्त बहिन मुस. रीना जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबडा हाल मुकाम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुस0 धापू आयु 70 वर्ष बेवा मदन जाति धोबी निवासी ग्राम मोरेली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 27.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम मोरेली तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में भूमियां खसरा नम्बरान 16 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 37/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 38/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 39/1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 44/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 134/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 212/1 रकबा 04 बिस्वा, कुल 9 किता आराजीयात 6 बीघा 3 बिस्वा, अवस्थित है, जो वादीगण के पिता रामभरोस तथा उसकी माता अर्थात् वादीगण की दादी प्रतिवादनी क्रम संख्या 1 मुस० धापू के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियों में वादीगण के पिता रामभरोस का हिस्सा 1/2 तथा इसी प्रकार वादीगण की दादी प्रतिवादनी क्रम संख्या 1 धापु का भी हिस्सा 1/2 है. वादीगण के पिता रामभरोस का स्वर्गवास अर्सा लगभग 7–8 वर्षो पूर्व हो चुका है. जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान वादीगण होने के कारण अपने मृतक पिता रामभरोस के खाते में दर्ज उक्त

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वर्णित भूमियों के हिस्सा 1/2 पर वादीगण बेहैसियत मालिक एवं स्वामी तथा खातेदारान के रामभरोस की मृत्यु के बाद से नियमित रूप से अभी तक काबिज है, और काश्त करते हुए चले आ रहे है। वादीगण मृतक रामभरोस के जायज वारिस तथा कायम मुकामान होने एवं उसके खाते में दर्ज भूमियां हिस्सा 1/2 के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर खातेदारान होने के कारण मृतक खातेदार रामभरोस के खाते में दर्ज उक्त वर्णित भूमियों का हिस्सा 1/2 को वादीगण अपने नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेली सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 33 पेश की गई। साक्ष्य वादी में रीना बाई, हेमराज, राहुल, के शपथ पत्र पेश किये गये है।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादिया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेली तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण के पिता रामभरोस तथा वादीगण की दादी धापू बाई के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। वादीगण के पिता रामभरोस एवं प्रतिवादीनी धापू बाई का उक्त आराजी में हिस्सा 1/2, 1/2 है। वादीगण के पिता रामभरोस का स्वर्गवास लगभग 7–8 साल पूर्व हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण होने से मृतक पिता रामभरोस के खाते की भूमि हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा मृतक खातेदार रामभरोस की भूमि पर तहसीलदार छबडा से नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु मृतक खातेदार रामभरोस के हिस्से की भूमि पर नामान्तरण दर्ज नही किया गया इसलिए वादीगण को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पडा वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मोरेली सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 33 में धापू बेवा मदनलाल, रामभरोस नाबालिग की वली माता धापू बाई जाति धोबी सा0देह बतौर खातेदार दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से यह साबित होता है कि विवादित आराजी धापु बाई व रामभरोस के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। रामभरोस का स्वर्गवास होने के बाद मृतक रामभरोस के वारिसान द्वारा अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने का वाद पेश किया चूंकि विवादित आराजी में रामभरोस का 1/2 हिस्सा दर्ज है मृतक रामभरोस की भूमि को वादीगण अपने नाम खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब व साक्ष्य/सबूत पेश नही किए गए है अर्थात् वादी द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए बयानो /कथनों का खंछल नही किया गया है तथा स्वतंत्र गवाह PW1 (रीना) PW2 (राहुल) के बयानों से भी वादी का वाद साबित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेली तहसील छबडा के खसरा नम्बरान 16 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 37/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 38/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 39/1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 44/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 134/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 212/1 रकबा 04 बिस्वा, में वादीगण को रामभरोस के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 98 / 2022	धारा 88,89,91 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–27.08.2025
समक्षः श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अरविन्द प्रताप सिंह		अभिभाषकप्रतिवादीः– श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. मुस0 रीना आयु 27 वर्ष पुत्री रामभरोस जाति धोबी निवासी ग्राम मोरेली तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम छीपाबडौद जिला बारां
2. राहुल आयु 18 वर्ष आत्मज रामभरोस जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबडा हाल मुकाम गुना (म0प्र)
3. मोनू आयु 15 वर्ष नाबालिग आत्मज रामभरोस वली एवं सरपरस्त बहिन मुस. रीना जाति धोबी निवासी मोरेली तहसील छबडा हाल मुकाम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुस0 धापू आयु 70 वर्ष बेवा मदन जाति धोबी निवासी ग्राम मोरेली तहसील छबडा जिला
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब छबड़ा जिला बारा (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेली तहसील छबडा के खसरा नम्बरान 16 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 37/1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 38/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 39/1 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 44/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 133/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 134/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 212/1 रकबा 04 बिस्वा, में वादीगण को रामभरोस के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.08.2025.को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		